फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान ....मोतीचन्द बनाम .....सरकार

मुकदमा संख्या T.I. 164 / 2022

27/08/24

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर। उभयपक्षों की बहस में जाहिर तथ्यों व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन करने पर न्यायालय यह पाता है कि प्रार्थी ने वादग्रस्त खसरा नम्बर 146 रकबा 03 बीधा 13 बिस्वा अवस्थित ग्राम बोयतावाला तहसील व जिला जयपुर के 02 बिस्वा भूमि पर कब्जे के आधार पर घोषणा के वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थ्ज्ञाई निषेधाज्ञा पेश किया है। वादग्रस्त खसरा नम्बर 146/1 रकबा 0.8094 है0 भूमि राजकीय प्राथमिक विधालय–बोयतावाला तथा खसरा नम्बर 146/2 रकबा 0.1138 है0 जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। ऐसे में अप्रार्थी को अस्थ्ज्ञाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने पर अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो सकती है जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं होगा। चूंकि वादग्रस्त भूमि का एकमात्र रिकॉर्डेड एवं काबिज मालिक जयपुर विकास प्राधिकरण व राजकीय प्राथमिक विधालय–बोयतावाला है। सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27/08/2024 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम